

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सरकत । नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती

नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर।

Page No. : 2

Vol. No. : 9

Receipt No. : 0897112701

सरायकेला पानीछत्तर 0297 SALMA SOREN		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
53	29	0 एकड़ 4.08 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2020-2021)
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष	
माल (नकदी)	3.00					3.00
गुजारी (भावली)	0.75					0.75
सेस	1.50					1.50
सूद	1.50					1.50
मुतफरकात	0.60					0.60
मीजान	7.35					7.35

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2020-2021)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष		
माल (नकदी)					3.00	
गुजारी (भावली)					0.75	
सेस					1.50	
सूद					1.50	
मुतफरकात					0.60	
मीजान अदायकारी					7.35	

(1) मीजान कुल (तफजों में) : Seven Rupees and Thirty Five Paise

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल बकाया- 7.35

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 07-07-2020

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किन्ती भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

सूराखण्ड नगरपालिका अधिनियम:2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 569797011020014718
Date : 01-10-2020
प्रतिदि : 3 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री SALMA SOREN W/O LT DOMEN SOREN ,
महिला Panchayat SARAIKELA , 7903840211

SARAIKELA KHARSAWAN , 833219

एनई द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं* - 0020000234000M0 वार्ड सं* 2 हुआ है, आपके
स* निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- ₹* निर्धारित किया गया है।

इसके अनुसार प्रति विभागी कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	21.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	21.00

स्व-निर्धारित कर की सूचना

कुल राशि (प्रति विभागी)



To be signed by the Applicant

- नोट:-
1. कर निर्धारण की सूची SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT Website, sua.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
 2. नियमावली कोड का 11.4 के अलावा में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
 4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की छीपातय दी जाएगी।
 5. किसी देय घुति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक विभागी) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण जांच देय होगा।
 6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषण पत्र की रचनात्मक जांच या समय निर्धारण करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्त्र (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
 7. SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/ढाँचों को कोई कानूनी हेरफेर प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/ रखरखाव को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
 8. अगर आपके नाम होल्डिंग नहीं का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशेष सरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.